आंध्रप्रदेश राज्य व अन्य

बनाम

मौहम्मद घोस मोईनुददीन व अन्य

अगस्त 27, 2001

[जी.बी. पटनायक और रूमा पाल, जे.जे.]

भारत का संविधान 1950: अनुच्छेद 371.डी.का उद्देश्य

आंध्र प्रदेश सार्वजनिक रोजगार (स्थानीय संवर्गों का संगठन और प्रत्यक्ष भर्ती का विनियमन) आदेश, 1975: पैरा 3 (1),(3),(7), 5 और 6 की व्याख्या

राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं-वाणिज्यिक कर, राजस्व और पुलिस विभागों में स्थानीय संवर्गों के संगठन के लिए योजना-नियुक्ति, पदोन्नति और वरिष्ठता के लिए छोटी इकाइयों का प्रावधान करने वाली योजना-15 वर्षों के लिए योजना संचालित-15 वर्षों के बाद चुनौती की अनुमति नहीं है- अधिसूचनाएँ रोकी गईं वैध- धारण: स्थानीय कैडरों को संगठित करके राष्ट्रपति के आदेश की किसी भी आवश्यकता का उल्लंघन नहीं किया गया।

सेवा कानून-लंबे समय तक लागू प्रक्रिया-आयोजित में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि यह संवैधानिक प्रावधान के प्रतिकूल या नियम के विपरीत न हो।

संविधान के अनुच्छेद 371 डी के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश लोक रोजगार (संगठन) जारी किया। (स्थानीय संवर्ग और प्रत्यक्ष भर्ती का विनियमन) आदेश, 1975. राष्ट्रपति के आदेश के पैराग्राफ 3 (1) के संदर्भ में, आंध्र प्रदेश राज्य ने जीओएमएस जारी किये। क्रमांक 581 दिनांक 24 मई, 1976, जो वाणिज्यिक कर विभाग में स्थानीय संवर्ग के संगठन के लिए योजना प्रदान करता है। दो अन्य समान जीओएमएस क्रमांक 497 दिनांक 03 अप्रैल, 1976 एवं जीओएमएस क्रमांक 795 दिनांक 30 जून, 1976 भी राजस्व विभाग एवं पुलिस के संबंध में जारी किये गये थे। ये छोटी इकाईयां राज्य सरकार द्वारा संगठित होती हैं, जो सरकार राष्ट्रपति के आदेश के पैराग्राफ 03 के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए 1976 से 15 वर्षों से अधिक समय तक कार्यरत रही-और नियुक्ति, पदोन्नति और वरिष्ठता को संवर्ग के रूप में निपटाया जाता रहा। 1992-1993 में आंध्रप्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर किये गये थे, जिसमें उच्च पदों पद पदोन्नति के लिए विभिन्न संवर्गों में क्षेत्र व अंतरवरिष्ठता के पुर्ननिर्धारण का निर्देश दिया गया था। न्यायाधिकरण ने कहा कि (i) प्रभाग प्रशासन के

उददेश्य के लिए एक ईकाई है और क्षेत्र राष्ट्रपति के आदेश के तहत सीधी भर्ती, नियुक्ति, वरिष्ठता, पदोन्नति और स्थानान्तरण के लिए पदों के संगठन के उददेश्य से एक ईकाई है; (ii) राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत विभिन्न स्थानीय संवर्गों का संगठन, पैरा संख्या 03 में दिये गये राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है और छोटी ईकाईयों में ऐसे अलग-अलग संवर्ग पैरा 5(1) में उल्लिखित सेवा की शर्तों को प्रभावित करते हैं। (iii) राष्ट्रपति आदेश के पैरा 3(7), केवल राज्य सरकार को प्रशासनिक सुविधा के लिए अलग संवर्ग रखने में सक्षम बनाता है और जिस सिद्घांत पर सर्वोच्च न्यायालय ने बाद के जीओएमएस को रदद कर दिया था। प्रकाश राव के मामले में यह जीओएमएस क्रमांक 581 पर भी समान रूप से लागू होगा।

पैरा 3(7) की व्याख्या करते हुए न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य सरकार सार्वजनिक रोजगार के उद्देश्य से राज्य के किसी अन्य भाग में संवर्ग का आयोजन नहीं कर सकते। जीओएमएस... संख्या 497 के विश्लेषण पर- राजस्व विभाग में पदों के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया गया कि राजस्व विभाग में उपरोक्त श्रेणियों के पदों के लिए नियुक्ति की इकाइयां राष्ट्रपति के आदेश के प्रावधान के अनुरूप हैं और इसलिए राजस्व विभाग में पदों के संबंध में कोई विशेष कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी। न्यायाधिकरण ने यह भी पाया कि बिक्री कर विभाग,

राजस्व विभाग और पुलिस विभाग ने राष्ट्रपति के आदेश के संदर्भ के बिना काम किया है। "राज्य के ऐसे हिस्से" अभिव्यक्ति की व्याख्या करते हुए, यह माना गया कि राज्य सरकार पैरा 5(1) में उल्लिखित सार्वजनिक रोजगार के उद्देश्य से राज्य के किसी अन्य हिस्से में संवर्गों का आयोजन नहीं कर सकती है। अंततः यह माना गया कि विभिन्न पदों पद भर्ती राष्ट्रपति आदेश के आदेश के तहत बनाई गई ईकाईयों के अनुसार की जानी चाहिए, न कि राष्ट्रपति के आदेश के पैरा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में राज्य सरकार द्वारा किये गये पुर्नगठन के अनुसार। इन निष्कर्षों के साथ, तीन विभागों में विशिष्ट जीओएमएस रद्द किए जाने और आगे के निर्देश जारी किए जाने के बाद, इन अपीलों को प्राथमिकता दी गई है।

अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि (i) 1976 से राष्ट्रपति आदेश के अनुच्छेद 3(1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठित इकाइयाँ बनाई गई हैं और 15 से अधिक साल से कार्यरत हैं। वर्षों में, ट्रिब्यूनल को वर्ष 1992 और 1993 में जिन आवेदनों पर विचार करना और फिर उक्त संगठनात्मक योजना में हस्तक्षेप करने का निर्देश देने में ट्रिब्यूनल उचित नहीं था, जो स्थापित स्थिति को अस्थिर कर देगा और प्रशासन में अराजकता पैदा करेगा; (ii) *प्रकाश राव के मामले में फैसले के मद्देनजर ट्रिब्यूनल का विवादित आदेश बरकरार

नहीं रखा जा सकता; और (iii) ट्रिब्यूनल ने पैराग्राफ 3(3) को मानकर गलती की है।

राष्ट्रपति के आदेश का सर्वव्यापी प्रभाव होगा।

न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार करते हुए ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द करते हुए अभिनिर्धारित किया

1. ट्रिब्यूनल ने राष्ट्रपति आदेश के विभिन्न प्रावधानों और राज्य सरकार की अधिसूचनाओं की व्याख्या करने में गंभीर त्रुटि की, जो राष्ट्रपति आदेश के पैराग्राफ 3(1) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी। राष्ट्रपति के आदेश के प्रावधानों की व्याख्या पर ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष, प्रथम दृष्टया, ग़लत हैं और इन्हें बरकरार नहीं रखा जा सकता है। [194-बी-सी]

2. यह निष्कर्ष कि जिस सिद्धांत पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के पैराग्राफ 3(7) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई बाद की अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया, वह विभिन्न स्थानीय कैडर के आयोजन के लिए जारी प्रारंभिक अधिसूचना पर लागू होगा। कायम नहीं रखा जा सकता। यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के तहत स्थानीय कैडरों को संगठित करके राष्ट्रपति के आदेश की किसी भी आवश्यकता का उल्लंघन किया गया है। ट्रिब्यूनल का

निष्कर्ष कि पैराग्राफ 3(7) केवल राज्य सरकार को प्रशासनिक सुविधा के लिए अलग कैडर रखने में सक्षम बनाता है, उक्त प्रावधान की गलत व्याख्या पर आधारित है और उस उद्देश्य के प्रतिकूल होगा जिसके लिए शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति का आदेश जारी किया गया था। अनुच्छेद 371-डी के तहत, और राज्य सरकार को समान विकास प्राप्त करने और रोजगार के मामले में समान अवसर प्रदान करने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में छोटे कैडरों को संगठित करने की शक्ति प्रदान की गई थी। [194-डी-ई]

3. ट्रिब्यूनल के आक्षेपित आदेश के साथ-साथ रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1976 में अराजपत्रित पदों के संबंध में कैडर की छोटी इकाइयों को संगठित करने के लिए जारी की गई अधिसूचनाएं लागू रहीं। 1992-93 में ट्रिब्यूनल से संपर्क करने तक, इन कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति और अन्य सेवा शर्तें, राज्य सरकार के आदेश में गणना किए गए पदों के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए संगठित संवर्ग के भीतर की गई थीं, जो मूल रूप से मामले में सार्वजनिक रोजगार हेतू समान अवसर और सुविधाओं के लिए थी। सार्वजनिक रोजगार का सेवा न्यायशास्त्र में यह एक प्रमुख सिद्धांत है कि लंबे समय से अपनाई गई किसी विशेष पद्धति या प्रक्रिया में सामान्य तौर पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि

ऐसी पद्धति किसी संवैधानिक प्रावधान के प्रतिकूल न हो या किसी वैधानिक नियम के विपरीत न हो। इसके अलावा, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत, सीमा की अवधि ने धारा 21 में प्रावधान किया है। मामले के इस दृष्टिकोण में, जब इकाइयों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं सन 1976 के अनुसार संवर्ग का गठन अराजपत्रित पदों के संबंध में किया और उस आधार पर कैडर के भीतर नियुक्ति और पदोन्नति पर विचार किया जा रहा था। अराजपत्रित पदों के संबंध में 1992-93 में 15 वर्ष से अधिक की समाप्ति के बाद ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन दायर किए गए थे। वर्ष पर विचार नहीं किया जा सकता था और तय स्थिति को अस्थिर नहीं किया जा सकता था, जैसा कि ट्रिब्यूनल ने अपने अंतिम आदेश में किया है। अकेले इस आधार पर आक्षेपित आदेश कायम नहीं रखा जा सकता। {191-एच;192-ए-डी}

4. राष्ट्रपति के आदेश का उद्देश्य सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा के मामले में आंध्र प्रदेश राज्य के विभिन्न हिस्सों से संबंधित लोगों के लिए समान अवसर और सुविधाएं प्रदान करना था। अनुच्छेद 371-डी का उद्देश्य आंध्र प्रदेश राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास को बढ़ावा देना था, ताकि पूरे राज्य के संतुलित विकास को सुनिश्चित किया जा सके और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को समान अवसर प्रदान किया जा सके। सार्वजनिक सेवा में शिक्षा, रोजगार और कैरियर की संभावनाओं की

विभिन्न स्थानीय संवर्गों के संगठन के लिए राष्ट्रपति के आदेश के पैरा 3 में निहित सक्षम प्रावधान स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 371-डी के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है, अर्थात् राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, रोजगार के मामले में समान अवसर प्रदान करना है और सार्वजनिक सेवा में कैरियर की संभावनाओं के साथ-साथ आंध्र प्रदेश राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास को बढ़ावा देना, ताकि पूरे राज्य के संतुलित विकास को सुनिश्चित किया जा सके। राज्य सरकार, जिसे नागरिक पदों के किसी भी वर्ग या वर्गों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों के प्रतिनिधित्व के बारे में पता होना चाहिए, को इस प्रकार भर्ती के उद्देश्य से कैडर के रूप में छोटी इकाइयों को संगठित करने की शक्ति प्रदान की गई है। सार्वजनिक रोजगार में पदोन्नति और सेवा की अन्य शर्तें, ताकि विभिन्न हिस्सों के लोग जिम्मेदारी साझा कर सकें, जिससे राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। राष्ट्रपति का आदेश, जो अनुच्छेद 371-डी के खंड (1) और (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है, आदेश के पैराग्राफ 3 में राज्य सरकार को राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए स्थानीय कैडर के संगठन के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत करता है। पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (7) में ही कहा गया है कि राज्य के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी विभाग में किसी भी श्रेणी के पदों के संबंध में एक अलग कैडर आयोजित करने के मामले में, राष्ट्रपति के आदेश में कही

गई किसी भी बात को, राज्य सरकार को उक्त अधिनियम से रोकने वाला नहीं माना जा सकता है। [185-एफ; 193-सी-ई]

5. पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (1) और पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (7) का संयुक्त वाचन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि किसी भी श्रेणी के संबंध में एक अलग कैडर के आयोजन के मामले में राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी आदेश पदों का अति-प्रभावी प्रभाव होगा और राष्ट्रपति के अादेश का कोई भाग नहीं होगा। पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (3) सहित एक आदेश, राज्य सरकार की उक्त शक्ति पर एक बंधन होगा। ऐसी शक्ति राज्य सरकार को उस मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई है जिसके लिए अनुच्छेद 371-डी लागू किया गया था, अर्थात सार्वजनिक सेवा में रोजगार और कैरियर की संभावनाओं के मामले में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करना और उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, नि:संदेह राज्य सरकार के पास सभी डेटा और सामग्री होगी, जो उसे विभिन्न स्थानीय कैडरों को व्यवस्थित करने में सक्षम बनाएगी। पैरा 3(7) के साथ पढ़ा गया पैराग्राफ 3(1) पैराग्राफ 3(3) के अधीन नहीं है, जैसा कि ट्रिब्यूनल ने माना था। दूसरी ओर, राष्ट्रपति आदेश के पैराग्राफ 3(7) का पैराग्राफ 3(3) पर अत्यधिक प्रभाव होगा और इसलिए, जहां तक अराजपत्रित पदों का सवाल है, राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी आदेश पैराग्राफ 3(1) के तहत, राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए अलग-अलग

स्थानीय कैडर का गठन, भर्ती, पदोन्नति और अन्य सेवा शर्तों के उददेश्य के लिए संचालन का क्षेत्र होगा। {193-एफ-एच;194-ए}

आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य बनाम ए. सूर्यनारायण राव व अन्य, [1991] पूरक 2 एस.सी.सी. 367 और एस प्रकाश राव व अन्य बनाम आयुक्त वाणिज्यिक कर एवं अन्य [1990] 2 एस.सी.सी. 259, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1651-1652 वर्ष 1997

हैदराबाद में आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण आरपी संख्या 5710/87 और 1575 में के निर्णय और आदेश दिनांक 2.11.94 से।

साथ

सी.ए. क्रमांक 1653 वर्ष 1997

अपीलकर्ता के लिए जी. प्रभाकर, सुश्री टी. अनामिका।

एल. नागेश्वर राव, जयंत मुथराज, के.सी. सुदर्शन और एस.यू.के. सागर में अपीलार्थी की ओर से सी.ए.नं. 1653/97.

पी.एस. नरसिम्हा, पी. श्रीधर और वी.जी. प्रगासम उत्तरदाताओं के लिए

न्यायालय का निर्णय पटनायक, जे. द्वारा सुनाया गया।

ये अपीलें आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध निर्देशित हैं। विवादित आदेश के द्वारा, ट्रिब्यूनल उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए विभिन्न कैडर में क्षेत्रवार अंतर-वरिष्ठता के आधार को फिर से निर्धारित करने का निर्देश देता है। ट्रिब्यूनल आंध्र प्रदेश राज्य के तीन अलग-अलग विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के मामलों से संबंधित है

संविधान (32 वां संशोधन) अधिनियम, 1973 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 371-डी को शामिल करने के बाद, भारत के राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश सार्वजनिक रोजगार (स्थानीय संवर्गों का संगठन और सीधी भर्ती का विनियमन) आदेश, 1975 जारी किया [इसके बाद संदर्भित किया गया है राष्ट्रपति के आदेश के रूप में"] उपरोक्त राष्ट्रपति आदेश का उद्देश्य सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा के मामले में आंध्र प्रदेश राज्य के विभिन्न हिस्सों से संबंधित लोगों के लिए समान अवसर और सुविधाएं प्रदान करना था। उपरोक्त अनुच्छेद का उद्देश्य आंध्र प्रदेश राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास को बढ़ावा देने के लिए था, ताकि समग्र रूप से राज्य का संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके और शिक्षा, रोजगार और करियर के मामले में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को समान अवसर प्रदान किया जा सके। सार्वजनिक सेवा में शिक्षा, रोजगार और कैरियर की संभावनाएँ। अनुच्छेद 371-डी में अभिव्यक्ति "सार्वजनिक रोजगार" की व्याख्या इस

न्यायालय द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य के मामले में की गई है।. सूर्यनारायणराव और अन्य। [1991] पूरक। 2 एससीसी 367, जिसका अर्थ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों है। राष्ट्रपति के आदेश का पैराग्राफ 3 राज्य सरकार पर यह दायित्व डालता है कि वह राज्य के अधीन सिविल सेवाओं में पदों की श्रेणियों और सिविल पदों की श्रेणियों को राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए अलग-अलग स्थानीय संवर्गों में निर्धारित सीमा और तरीके से व्यवस्थित करे। राष्ट्रपति के आदेश में, राष्ट्रपति के आदेश के प्रारंभ होने से 18 महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त पैराग्राफ का प्रावधान राष्ट्रपति को किसी भी समय,यहां तक कि 18 महीने की अवधि की समाप्ति के बाद भी, जब भी राष्ट्रपति ऐसा करना उचित समझे, राज्य सरकार को सिविल सेवाओं में पदों के किसी भी वर्ग को व्यवस्थित करने की आवश्यकता देने में सक्षम बनाता है और राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए अलग-अलग स्थानीय संवर्गों में राज्य के अंतर्गत नागरिक पदों की श्रेणियां विभिन्न स्थानीय संवर्गों के संगठन के लिए उपरोक्त सक्षम प्रावधान स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 371-डी के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है, अर्थात् राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं में कैरियर की संभावनाओं के मामले में समान अवसर प्रदान करना है। साथ ही आंध्र प्रदेश राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास को बढ़ावा देना, ताकि समग्र रूप से राज्य का संतुलित विकास

सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रपति आदेश के पैराग्राफ 3 का उप-पैरा (3) इस प्रकार है:

> "पैरा 3(3) प्रत्येक जोन के प्रत्येक विभाग में उप-पैराग्राफ (2) में निर्दिष्ट के अलावा प्रत्येक अराजपत्रित श्रेणी से संबंधित पदों को एक अलग कैडर में व्यवस्थित किया जाएगा।"

अनुच्छेद 3 का उप-पैरा (7) इस प्रकार है:

> "पैरा 3(7) राज्य के किसी भी हिस्से के लिए, किसी भी विभाग में, किसी भी श्रेणी के पदों के संबंध में, एक अलग कैडर का आयोजन करने में, इस आदेश में कुछ भी राज्य सरकार को, राज्य के ऐसे हिस्से के लिए, ऐसे विभाग में, ऐसी श्रेणी का, एक से अधिक कैडर के गठन या जारी रखने से रोकता नहीं माना जाएगा।"

राष्ट्रपति आदेश का पैराग्राफ 6 स्थानीय क्षेत्रों से संबंधित है, जो इस प्रकार है:

"पैरा 6. स्थानीय क्षेत्र:-(1) प्रत्येक जिले को स्थानीय क्षेत्र माना जाएगा

(i) राज्य सरकार के अधीन किसी भी स्थानीय संवर्ग में पदों पर सीधी भर्ती के लिए, जिसमें उस जिले के किसी भी विभाग में कनिष्ठ सहायक की श्रेणी के सभी या कोई पद या कनिष्ठ सहायक के समकक्ष या उससे कम किसी अन्य श्रेणी के पद शामिल हों।

(ii) किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के तहत किसी भी संवर्ग में पदों पर सीधी भर्ती के लिए उस जिले के भीतर, न्यूनतम वेतनमान लेकर, कनिष्ठ सहायक के वेतनमान के न्यूनतम से अधिक न हो या एक निश्चित वेतन जो उस राशि से अधिक न हो।

(2) प्रत्येक क्षेत्र को एक स्थानीय क्षेत्र माना जाएगा-

(i) राज्य सरकार के तहत किसी भी स्थानीय संवर्ग में पदों पर सीधी भर्ती के लिए, जिसमें उस क्षेत्र के किसी भी विभाग में, उप-पैराग्राफ में उल्लिखित लोगों की तुलना में, किसी भी गैर-राजपत्रित श्रेणी से संबंधित सभी या कोई भी पद शामिल हो।

(ii) किसी भी स्थानीय कैडर में पदों पर सीधी भर्ती के लिए, जिसमें उस क्षेत्र के किसी भी विभाग में तहसीलदारों और जूनियर इंजीनियरों की श्रेणियों से संबंधित सभी या कोई पद शामिल हैं; सहायक कृषि अधिकारी, पुलिस निरीक्षक और मोटर वाहन निरीक्षक। [जी.ओ.एम. नंबर 498, जी.ए.डी.(एसपीएफ), दिनांक 16.7.1977]

(iii) उस क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के तहत किसी भी संवर्ग में पदों पर सीधी भर्ती के लिए, वेतनमान, जिसका न्यूनतम वेतन कनिष्ठ सहायक के वेतनमान के न्यूनतम से अधिक है, लेकिन 480 प्रति माह से अधिक नहीं है; या एक निश्चित वेतन जो कनिष्ठ सहायक के वेतनमान के न्यूनतम से अधिक है लेकिन 480 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है।

बशर्ते कि जहां खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी से संबंधित पदों के पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (5) के तहत दो या दो से अधिक क्षेत्रों के लिए एक ही कैडर का आयोजन किया गया हो, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र को ऐसे संवर्ग के संबंध में एक अलग स्थानीय क्षेत्र के रूप में माना जाता है।

(3). उप-पैराग्राफ (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी -

(i) हैदराबाद शहर को राज्य सरकार के तहत किसी भी स्थानीय संवर्ग में पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक स्थानीय क्षेत्र माना जाएगा, जिसमें विभागों में उक्त शहर के सभी या कोई पद शामिल होंगे और उप पैराग्राफ 3 का पैराग्राफ (6)-के तहत अधिसूचित श्रेणियों से संबंधित होंगे और उक्त शहर को किसी भी अन्य स्थानीय कैडर से संबंधित स्थानीय क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा जिसमें विभागों में पद शामिल हैं और इस प्रकार अधिसूचित श्रेणियों से संबंधित हैं; और

(4) उप-पैराग्राफ (1), (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी:-

(i) मेडक, रंगारेड्डी और हैदराबाद जिलों को हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण के तहत किसी भी संवर्ग में पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक स्थानीय क्षेत्र के रूप में माना जाएगा, जिसमें वेतनमान वाले पद शामिल होंगे, जिनका वेतनमान, न्यूनतम वेतनमान से अधिक नहीं होगा। कनिष्ठ सहायक का न्यूनतम वेतनमान या एक निश्चित वेतन जो उस राशि से अधिक न हो;

(ii) जोन VI को हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण के तहत किसी भी संवर्ग में पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक स्थानीय क्षेत्र के रूप में माना जाएगा, जिसमें वेतनमान वाले पद शामिल होंगे, जिनमें से न्यूनतम वेतनमान कनिष्ठ सहायक के वेतनमान से अधिक होगा लेकिन 480 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होगा या एक निश्चित वेतन जो कनिष्ठ सहायक के वेतनमान के न्यूनतम से अधिक है लेकिन 480 रूपये प्रति माह से अधिक नहीं है। [उप-पैरा (4) जी.ओ.एम. द्वारा जोड़ा गया है। क्रमांक 498, जी.ए.डी., (एसपीएफ-ए) विभाग, दिनांक 16.7.1977).

(iii) हैदराबाद शहर को स्थानीय प्राधिकरण के तहत किसी भी संवर्ग में पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक स्थानीय क्षेत्र माना जाएगा, जिसमें उक्त शहर के भीतर वेतनमान वाले पद शामिल होंगे, जिनमें से 480 रूपये प्रति माह न्यूनतम या एक निश्चित वेतन जो उस राशि से अधिक नहीं

होगा, और उक्त शहर को किसी भी स्थानीय प्राधिकारी के तहत किसी भी कैडर से संबंधित स्थानीय क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा जो उक्त शहर के भीतर नहीं है।

राष्ट्रपति के आदेश के पैराग्राफ 3(1) के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य ने विभिन्न स्थानीय कैडरों का गठन करके वाणिज्यिक कर विभाग को संगठित करते हुए, जीओएमएस... संख्या 581 जारी किया। वाणिज्यिक कर विभाग में स्थानीय कैडर के संगठन के लिए योजना प्रदान करने वाला उपरोक्त सरकारी आदेश 24 मई, 1976 को जारी किया गया था और उपरोक्त योजना के परिशिष्ट में यह दर्शाया गया है कि जबकि उप आयुक्त, सहायक आयुक्त और वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद, राज्य स्तरीय पद बने रहेंगे और इस तरह किसी भी स्थानीय संवर्ग को संगठित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उप वाणिज्यिक कर अधिकारियों के पदों को छह क्षेत्रीय संवर्गों में व्यवस्थित किया गया था और विभिन्न क्षेत्रों की संवर्ग शक्ति को भी उपरोक्त अनुसूची में दर्शाया गया था। जहां तक अराजपत्रित पदों का सवाल है, उनको भर्ती और पदोन्नति के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग 09 छोटी इकाइयों में संगठित किया गया था। इसलिए, आवश्यक रूप से, एक अनुलग्नक के माध्यम से, पुनर्गठन के बाद, डिप्टी कमिश्नर डिवीजन के संशोधित क्षेत्राधिकार को इंगित किया

गया था, जिसमें नौ अलग-अलग छोटी इकाइयों का संकेत दिया गया था, और ये छोटी इकाइयां, भर्ती और पदोन्नति और वरिष्ठता के उद्देश्य के लिए क्षेत्र बन गईं। जीओएमएस के अनुरूप वाणिज्यिक कर विभाग के लिए जारी जीओएमएस संख्या 581, जीओएमएस संख्या 497 दिनांक 30 अप्रैल, 1976 राजस्व विभाग और उपरोक्त जीओएमएस के तहत संबंधित है,जबकि पैराग्राफ 5 तहसीलदारों के राजपत्रित पदों से संबंधित है, जिन्हें व्यवस्थित करना आवश्यक है। जोनल कैडर में और वास्तव में छह जोनल कैडर का आयोजन किया गया था, लेकिन जहां तक गैर-राजपत्रित पदों का सवाल है, इसे इकाई के रूप में जिला-वार आधार पर व्यवस्थित किया गया था और पदों के संबंध में नौ ऐसी इकाइयां आयोजित की गईं थीं। उप तहसीलदार, हेड क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, टाइपिस्ट, श्रॉफ, जीप ड्राइवर, रिकॉर्ड सहायक और अंतिम ग्रेड सेवक। इसी प्रकार जीओएमएस... क्रमांक 795 दिनांक 30 जून 1976 के अंतर्गत पुलिस विभाग में स्थानीय संवर्ग में पदों का पुनर्गठन जारी किया गया। यह निर्विवाद है कि अपीलों के इस बैच में, हम राजस्व विभाग में वाणिज्यिक कर विभाग में ऐसे अराजपत्रित पदों के संबंध में वरिष्ठता के साथ-साथ पदोन्नति के प्रश्न से चिंतित हैं और पुलिस विभाग-राष्ट्रपति आदेश, के पैराग्राफ 3 के तहत अपने दायित्व के निर्वहन में राज्य सरकार द्वारा आयोजित ये छोटी इकाइयाँ सक्रिय रहीं और नियुक्ति, पदोन्नति और वरिष्ठता को कैडर के रूप में छोटी इकाइयों के साथ निपटाया जाता

रहा, जब तक कि निर्णय नहीं लिया गया। न्यायाधिकरण-इस स्तर पर यह उल्लेख करना आवश्यक हो सकता है कि वाणिज्यिक कर विभाग में, जी.ओ.एम. क्रमांक 581 जारी होने के बाद, आंध्र प्रदेश सरकार ने दो और जी.ओ.एम. संख्या 1648 और 1900 जारी किए थे। उपरोक्त दो जीओएमएस की वैधता एस. प्रकाश राव और अन्य बनाम वाणिज्यिक कर आयुक्त और अन्य, [1990] 2 एससीसी 259 के मामले में विचार का विषय था। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने राष्ट्रपति के आदेश के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के विभिन्न पैराग्राफों का विश्लेषण किया, जिसमें राष्ट्रपति के आदेश के पैराग्राफ 3 के अनुसार, स्थानीय कैडर में विभिन्न वर्गों के पदों को व्यवस्थित किया गया और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राष्ट्रपति के आदेश जारी होने की तारीख से 18 महीने की समाप्ति के बाद, राज्य सरकार के पास किसी भी अन्य स्थानीय कैडर के निर्माण की कोई शक्ति नहीं है और इसलिए, वरिष्ठता को प्रारंभिक संगठन के अनुसार तैयार किया जाना है, और राष्ट्रपति के आदेश के पैराग्राफ 3 के तहत आवश्यक संगठन के आदेश जारी करने में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये स्थानीय कैडर के भीतर वरिष्ठता और पदोन्नति का प्रश्न निर्धारित किया जाना है। एस प्रकाश राव के मामले में, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कनिष्ठ सहायक का पद जिला कैडर का पद है और वरिष्ठ सहायक और सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद जोनल पद हैं।

न्यायालय इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा कि राष्ट्रपति आदेश के पैराग्राफ 3(1) के तहत, राज्य सरकार ने जीओएमएस संख्या 581 जारी करके विभिन्न स्थानीय संवर्गों का गठन करके वाणिज्यिक कर विभाग का गठन किया था और ऐसा करने से, राज्य के पास किसी क्षेत्र, संवर्ग या संवर्गों के भीतर एक क्षेत्र को विभाजित करने या पुनर्गठित करने की कोई शक्ति नहीं रह जाती है और इसलिए, इस तरह के किसी भी बाद के पुनर्गठन को रद्द किया जा सकता है। केवल प्रशासनिक आवश्यकता के लिए, न कि भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति आदि के उद्देश्य के लिए। न्यायालय ने माना कि भर्ती, वरिष्ठता, पदोन्नति, निर्वहन आदि के उद्देश्य के लिए, पैराग्राफ 3(1) के तहत एक बार संगठित होने पर स्थानीय कैडर अंतिम होगा और राष्ट्रपति के आदेश के पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (1) के प्रावधान के तहत कार्रवाई होने तक क्रियाशील होना जारी रहेगा। इन निष्कर्षों के साथ राज्य सरकार की कार्रवाई को आगामी जीओएमएस जारी करने में अमान्य करार दिया गया।

वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग से संबंधित मामलों के एक बैच को प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा एक साथ सुना गया और सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया गया जो इन अपीलों में चुनौती का विषय है। आक्षेपित आदेश में ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जीओएमएस क्रमांक 581 की वैधता बिक्री कर विभाग से संबंधित

प्रकाश राव के मामले में मुकदमेबाजी के पहले दौर में विचार नहीं किया गया था। इसने आगे कहा कि डिवीजन प्रशासन के उद्देश्य के लिए एक इकाई है और ज़ोन राष्ट्रपति के आदेश के तहत सीधी भर्ती, नियुक्ति, वरिष्ठता, पदोन्नति और स्थानांतरण के लिए कैडरों के संगठन के उद्देश्य के लिए एक इकाई है। यह भी माना गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत विभिन्न स्थानीय कैडरों का संगठन, राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है जैसा कि पैरा 3 और इस तरह के अलग-अलग प्रावधानों में दिया गया है।

छोटी इकाइयों में कैडर पैरा 5(1) में उल्लिखित सेवा की शर्तों को प्रभावित करते हैं। ट्रिब्यूनल ने माना कि राष्ट्रपति आदेश का पैरा 3(7) केवल राज्य सरकार को प्रशासनिक सुविधा के लिए अलग कैडर रखने में सक्षम बनाता है और जिस सिद्धांत पर सुप्रीम कोर्ट ने बाद के जी.ओ.एम. को रद्द कर दिया था। प्रकाश राव के मामले में, जीओएमएस संख्या 581 समान रूप से लागू होगा। पैरा 3(7) की व्याख्या करते हुए, ट्रिब्यूनल ने माना कि राज्य सरकार सार्वजनिक रोजगार के उद्देश्य से राज्य के किसी अन्य हिस्से में कैडर का आयोजन नहीं कर सकती है। जीओएमएस क्रमांक 497 के विश्लेषण पर राजस्व विभाग में पदों के संबंध में ट्रिब्यूनल ने माना कि राजस्व विभाग में उपरोक्त श्रेणियों के पदों के लिए नियुक्ति की इकाइयाँ, राष्ट्रपति के आदेश के प्रावधान के अनुरूप हैं और इसलिए किसी

विशेष कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। राजस्व विभाग में पदों के संबंध में ट्रिब्यूनल ने पाया कि बिक्री कर विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग ने राष्ट्रपति के आदेश के संदर्भ के बिना कार्य किया है। "राज्य के ऐसे हिस्से" की अभिव्यक्ति की व्याख्या करते हुए, यह माना गया कि राज्य सरकार सार्वजनिक रोजगार के उद्देश्य से राज्य के किसी अन्य हिस्से में कैडर का आयोजन नहीं कर सकती है, जैसा कि पैरा 5(1) में उल्लिखित है। ट्रिब्यूनल ने अंततः यह माना कि विभिन्न पदों पर भर्ती राष्ट्रपति के आदेश के तहत बनाई गई इकाइयों के अनुसार की जानी चाहिए, न कि राष्ट्रपति के आदेश के पैरा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार द्वारा किए गए पुनर्गठन के अनुसार। इन निष्कर्षों के साथ,तीन विभागों में विशिष्ट जीओएमएस को रद्द कर दिया गया है और आगे के निर्देश जारी किये गये हैं, इन अपीलों को प्राथमिकता दी गई है।

सिविल अपील संख्या 1653/1997 में अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित श्री एल. नागेश्वर राव और अन्य अपीलों में अपीलकर्ता-आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित श्री जी. प्रभाकर ने तर्क दिया कि पुनर्गठित इकाइयों का निर्माण किया गया है। राज्य सरकार, राष्ट्रपति आदेश के पैराग्राफ एफ 3(1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, 1976 से और 15 वर्षों से अधिक समय तक कार्यरत रहने के बाद, ट्रिब्यूनल को 1992 और 1993 में आवेदनों पर विचार करना और फिर इसमें हस्तक्षेप

करना उचित नहीं था। कहा कि, संगठनात्मक योजना और वरिष्ठता और परिणामी पदोन्नति के रास्ते पर पुनर्विचार करने का निर्देश, जो स्थापित स्थिति को अस्थिर करेगा और प्रशासन में अराजकता पैदा करेगा। आगे यह तर्क दिया गया कि प्रकाश राव के मामले में, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 3(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी एक प्रासंगिक जीओएमएस... की जांच की है और माना है कि योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाई गई संगठित ईकाईयां भर्ती, पदोन्नति, सेवामुक्ति आदि के प्रयोजन के लिए इकाई होगी। ट्रिब्यूनल के पास उस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और प्रावधानों के गलत विश्लेषण पर, ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष के साथ हस्तक्षेप किया है और इस तरह ट्रिब्यूनल के विवादित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। वकील ने यह भी आग्रह किया कि राष्ट्रपति के आदेश का पैराग्राफ 3(1), राज्य सरकार को राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए अलग-अलग स्थानीय कैडरों में सिविल सेवाओं में पदों की श्रेणियों को व्यवस्थित करने में सक्षम बनाता है और राष्ट्रपति के आदेश का पैराग्राफ 3(7) यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति के आदेश में कुछ भी राज्य सरकार को राज्य के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी विभाग में किसी भी श्रेणी के पदों के संबंध में अलग कैडर आयोजित करने से नहीं रोकेगा। पैराग्राफ 3(1) और 3(7) को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति के आदेश के शुरू होने के 18 महीने के भीतर, राज्य सरकार

राज्य की सिविल सेवाओं में पदों की श्रेणियों को विभिन्न स्थानीय संवर्गों में व्यवस्थित कर सकती है। राष्ट्रपति के आदेश के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से, और इस तरह के संगठित स्थानीय कैडर, भर्ती, पदोन्नति आदि के प्रश्न पर विचार करने के लिए संचालन का क्षेत्र होगा। यह स्थिति होने के कारण, ट्रिब्यूनल ने राष्ट्रपति के आदेश के पैराग्राफ 3 (3) को पकड़कर त्रुटि की है, जो कि अत्यधिक प्रभाव रखता है।

श्री पी.एस. नरसिम्हा राजस्व विभाग से संबंधित अपील में प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित हुए, दूसरी ओर तर्क दिया कि राष्ट्रपति आदेश, विशेष रूप से, उसी के पैराग्राफ 3 (3) इंगित करता है कि क्षेत्र और क्षेत्र, पात्रता का क्षेत्र होना चाहिए और राज्य सरकार को भर्ती, पदोन्नति आदि के उद्देश्य से किसी भी छोटी इकाइयों का गठन करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं माना जा सकता है, जो राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन होगा और इसलिए, न्यायाधिकरण को विवादित निर्देश जारी करना उचित था। जहां तक ट्रिब्यूनल के पास जाने में देरी का सवाल है, श्री नरसिम्हा का तर्क है कि यदि राज्य सरकार द्वारा कैडर का पुनर्गठन राष्ट्रपति के आदेश के विपरीत है और परिणामस्वरूप, अमान्य और निष्क्रिय है, तो ट्रिब्यूनल के पास जाने में देरी ही होगी। कर्मचारियों के अधिकार न छीनें और इसलिए ट्रिब्यूनल का राष्ट्रपति आदेश के पैराग्राफ 3(1) के तहत जारी जीओएमएस में हस्तक्षेप करना उचित था।

हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और हमें देरी के सवाल के साथ-साथ राष्ट्रपति के आदेश की व्याख्या के साथ-साथ, राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश, जो कि राष्ट्रपति आदेश के साथ पैराग्राफ 3(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया, के संबंध में अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित श्री नागेश्वर राव और श्री प्रभाकर की दलीलों में काफी ताकत मिली है। ट्रिब्यूनल के आक्षेपित आदेश के साथ-साथ रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1976 में अराजपत्रित पदों के संबंध में कैडर की छोटी इकाइयों को संगठित करने के लिए जारी की गई अधिसूचनाएं ट्रिब्यूनल के वर्ष 1992-1993 में अस्तित्व में आने तक लागू रहीं।

इन कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति और अन्य सेवा शर्तों के संबंध में, राज्य सरकार के आदेश में शामिल पदों के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा जारी संगठित संवर्ग के भीतर प्रावधान किया गया था, जो मूल रूप से समान अवसरों और सुविधाओं के मामले में था। सार्वजनिक रोजगार-सेवा न्यायशास्त्र में यह एक प्रमुख सिद्धांत है कि लंबे समय से अपनाई गई किसी विशेष पद्धति या प्रक्रिया में सामान्य तौर पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि ऐसी पद्धति किसी संवैधानिक प्रावधान के प्रतिकूल न हो या किसी वैधानिक नियम के विपरीत न हो। इसके अलावा प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत, धारा 21 में

सीमा की अवधि प्रदान की जाती है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, जब इकाइयों ने वर्ष 1976 में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार कैडर का गठन किया था, अराजपत्रित पदों के संबंध में और उस आधार पर, कैडर के भीतर नियुक्ति और पदोन्नति पर विचार किया जा रहा था। अराजपत्रित पदों के संबंध में 1992-93 में ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर आवेदन 15 वर्ष से अधिक की समाप्ति के बाद हो सकते थे। इस पर विचार नहीं किया गया और तय स्थिति को अस्थिर नहीं किया जा सकता था, जैसा कि ट्रिब्यूनल ने अपने अंतिम आदेश में किया है। अकेले इस आधार पर, आक्षेपित आदेश कायम नहीं रखा जा सकता।

आइए, अब हम राष्ट्रपति के आदेश के प्रावधानों के साथ-साथ राष्ट्रपति के आदेश के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं की जांच करें, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या ऐसी अधिसूचनाओं से संवैधानिक प्रावधान का कोई उल्लंघन हुआ है या यह प्रावधान राष्ट्रपति आदेश में ही निहित है। जब कोई सार्वजनिक रोजगार की बात करता है, तो तुरंत अनुच्छेद 16 ध्यान में आता है। अनुच्छेद 16 के खंड (1) और (2) राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय या किसी रोजगार में नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देते हैं। खंड (3) से (5) उपरोक्त नियम के अपवाद बताते हैं और खंड (4) नागरिकों के पिछड़े वर्गों

के लिए आरक्षण की अनुमति देता है, जो राज्य के एफ की राय में राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अनुच्छेद 16 के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, लेकिन अनुच्छेद 371-डी के तहत जारी राष्ट्रपति आदेश के लिए, राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए कैडर की संकीर्ण इकाइयों के भीतर रोजगार के प्रश्न पर विचार करना संभव नहीं होगा, राज्य सरकार द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश के पैराग्राफ 3(1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्मित किया गया। हालाँकि, अनुच्छेद 371 डी को संविधान (32 वां संशोधन) अधिनियम, 1973 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था, जो राष्ट्रपति को आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष आदेश पारित करने के लिए अधिकृत करता था। उपरोक्त अनुच्छेद को शामिल करने के पीछे के इतिहास को ट्रिब्यूनल के विवादित आदेश में विस्तार से बताया गया है। यह कहना पर्याप्त होगा कि, चूंकि तेलंगाना क्षेत्र और आंध्र क्षेत्र के निवासियों के बीच सार्वजनिक रोजगार में उपलब्ध अवसरों के मामले में बहुत असमानता थी, जहां पर राजनीतिक उथल-पुथल और अंततः राजनीतिक इच्छाशक्ति छह सूत्री फॉर्मूले में परिणत हुई और उपरोक्त फॉर्मूले के कार्यान्वयन में, अनुच्छेद 371-डी डाला गया, जो भारत के राष्ट्रपति को लोगों के लिए समान अवसरों और सुविधाओं के लिए उचित आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। सार्वजनिक रोजगार के मामले में राज्य के विभिन्न हिस्सों से संबंधित अनुच्छेद 371 डी का खंड (2) भारत के राष्ट्रपति को आदेश में प्रावधान

करने में सक्षम बनाता है, जिससे राज्य सरकार को राज्य की सिविल सेवा में किसी भी वर्ग या पदों के वर्गों को राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए अलग-अलग स्थानीय संवर्गों में व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। ऐसे सिद्धांतों और प्रक्रिया के अनुसार, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, ऐसे पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों को इस प्रकार संगठित स्थानीय कैडर में आवंटित करें। राज्य सरकार, जिसे नागरिक पदों के किसी भी वर्ग या वर्गों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों के प्रतिनिधित्व के बारे में पता होना चाहिए, को इस प्रकार भर्ती के उद्देश्य से कैडर के रूप में छोटी इकाइयों को संगठित करने की शक्ति प्रदान की गई है। सार्वजनिक रोजगार में पदोन्नति और सेवा की अन्य शर्तें, ताकि विभिन्न हिस्सों के लोग जिम्मेदारी साझा कर सकें, जिससे राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। राष्ट्रपति का आदेश, जो अनुच्छेद 371-डी के खंड (1) और (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है, आदेश के पैराग्राफ 3 में राज्य सरकार को राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए स्थानीय कैडर के संगठन के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत करता है। पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (7) स्वयं यह निर्धारित करता है कि राज्य के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी विभाग में किसी भी श्रेणी के पदों के संबंध में एक अलग कैडर आयोजित करने के मामले में, राष्ट्रपति के आदेश में कही गई किसी भी बात को, राज्य सरकार के ऐसे अधिनियम से, रोकने वाला नहीं माना जा सकता है।

पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (1) और पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (7) का संयुक्त वाचन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि किसी भी श्रेणी के पदों के संबंध में एक अलग कैडर के आयोजन के मामले में राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी आदेश का अति-प्रभावी प्रभाव होगा और राष्ट्रपति के आदेश का कोई भी भाग, जिसमें पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (3) भी शामिल हैं, जिस पर श्री नरसिम्हा ने दृढ़ता से भरोसा किया था, राज्य सरकार की उक्त शक्ति पर एक बंधन होगा। ऐसी शक्ति राज्य सरकार को उस मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई है जिसके लिए अनुच्छेद 371-डी लागू किया गया था, अर्थात, सार्वजनिक सेवाओं में रोजगार और कैरियर की संभावनाओं के मामले में, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने के लिए, और उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, नि:संदेह, राज्य सरकार के पास सभी डेटा और सामग्रियां होंगी, जो इसे अलग-अलग व्यवस्थित करने में सक्षम बनाएंगी। हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई झिझक नहीं है कि पैराग्राफ 3(7) के साथ पढ़ा गया पैराग्राफ 3(1) पैराग्राफ 3(3) के अधीन नहीं है, जैसा कि ट्रिब्यूनल ने माना था और जैसा कि श्री नरसिम्हा ने तर्क दिया था। दूसरी ओर, राष्ट्रपति के आदेश का पैराग्राफ 3(3) पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा और इसलिए, पैराग्राफ 3(1) के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी आदेश, राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए अलग-अलग स्थानीय कैडर का गठन करेगा। जहां तक अराजपत्रित पदों का संबंध है, भर्ती, पदोन्नति और अन्य सेवा शर्तों के

प्रयोजन के लिए संचालन। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में हमारी सुविचारित राय है कि ट्रिब्यूनल ने राष्ट्रपति के आदेश के विभिन्न प्रावधानों और राज्य सरकार की अधिसूचनाओं की व्याख्या करने में गंभीर त्रुटि की है, जो राष्ट्रपति के आदेश के पैराग्राफ 3(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी और तदनुसार ट्रिब्यूनल का उक्त आदेश रद्द किया जाता है। राष्ट्रपति के आदेश के प्रावधानों की व्याख्या पर ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष, प्रथमदृष्टया गलत हैं और इन्हें बरकरार नहीं रखा जा सकता है। हम इस निष्कर्ष पर कायम रहने में असमर्थ हैं कि जिस सिद्धांत पर सुप्रीम कोर्ट ने बाद की अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया, जो कथित तौर पर आदेश के पैराग्राफ 3(7) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, विभिन्न आयोजनों के लिए स्थानीय कैडर के संबंध में जारी प्रारंभिक अधिसूचना पर लागू होगी। हम यह भी नहीं समझ पाते कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के तहत स्थानीय कैडरों को संगठित करके, राष्ट्रपति के आदेश की किसी भी आवश्यकता का उल्लंघन कैसे किया गया है। ट्रिब्यूनल का आगे का निष्कर्ष कि पैराग्राफ 3(7) केवल राज्य सरकार को प्रशासनिक सुविधा के लिए अलग कैडर रखने में सक्षम बनाता है, उक्त प्रावधान की गलत व्याख्या पर आधारित है और उस उद्देश्य के प्रतिकूल होगा जिसके लिए राष्ट्रपति का आदेश जारी किया गया था। अनुच्छेद 371-डी के तहत शक्तियां और राज्य सरकार को समान विकास प्राप्त करने और रोजगार के मामले में समान अवसर प्रदान

करने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में छोटे कैडरों को संगठित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसलिए, हमने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिब्यूनल द्वारा आक्षेपित फैसले में निकाले गए निष्कर्षों को खारिज कर दिया।

ये अपीलें स्वीकार की जाती हैं। ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर आवेदन खारिज कर दिए गए हैं।

टी.एन.ए. अपीलें खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशल इंटेलिजेन्स टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी जगदीश कुन्तल (आर.जेएस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए , निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा |